न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुढ़ाना 25/3/21

मु० नं०	प्रा. पत्र	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
63/21	विविध	24/03/21	24/03/21 खारिज

FILE NO.

Name : किशनसिंह बनाम हरकेशी वगैरह

Address : इजराय बाबत अमल दरामद हेतु

Subject : मु० सं० 10/89 व 10/2000 ग्राम सिघान खेड़ा

From : To : तह० बुढ़ाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:39:44 IST
Reason: SelfAttested

No. 650

Lamination File

S.D DEZIRE

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम बयाना
किशनसिंह आदि बनाम हरजी वगैरा
किस्त मुकदमा प्रा० पत्र विविध नं. सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीज में जारी हुए
25/3/21	प्रार्थीगण द्वारा यह इस्तगासा प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया है कि डिक्री दिनांक 27.06-2001 अनुसार मुताबिक डिक्री अमल बाबत इस्तगासा पेश होने पर डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बयाना को कैफियत क्रमांक 236 दिनांक 15/2/2002 एवं संशोधित कैफियत क्रमांक 117 दिनांक 19/01/2004 को जारी हुई। डिक्रीधारान में से डिक्रीदार संख्या 04 श्रीमती प्यारसी व डिक्रीदार संख्या 06 श्रीमती धनवाई जो कि प्रार्थीगण की माता व दादी है का स्वर्गवास हो गया है। श्रीमान तहसीलदार बयाना द्वारा न्यायालय के आदेश क्र० दिनांक 117 दि. 19/01/2004 की पालना नहीं की है एवं ना ही पालना रिपोर्ट न्यायालय श्रीमान को ही भिजवाई गई। निर्णय डिक्री की पालना नहीं होने पर प्रार्थीगण मय नाबालिग आराजी का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे है। तहसीलदार बयाना को व तहसील आवेदन ... 2004, 7/2/2008, 14/12/2009, 22-07-2010, 07/.../2011, 10/8/2012, 30/9/2020, 14/10/2020 को प्रस्तुत किए लेकिन तहसीलदार बयाना द्वारा पालना नहीं	

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumit Arya
Date: 2021.04.22 16:39:44 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की है, अतः मैं तहसीलदार बयाना को न्यायालय हाजा के आदेश क्रमांक 117 दिनांक 19/01/2004 बाबत रिमाण्डर जारी कर निर्णय डिक्री की पालना चाही है। हमने प्रार्थना पत्र पर एडवोकेट प्रार्थी श्री सुन्दर शर्मा को सुना। एड० प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय हाजा के मु०नं० 10189/10/2000 मुन्नाजी बिहारी सिंह आदि बनाम हरभजी बगैरा में निर्णय/डिक्री दिनांक 27/06/2001 की पालना हेतु तहसीलदार बयाना को कार्यालय के पत्रांक 117 दिनांक 19/01/2004 से लिखा गया परन्तु तहसीलदार बयाना द्वारा निर्णय/डिक्री की पालना नहीं की है। प्रार्थना पत्र पर जोर देते हुए पुनः निर्णय/डिक्री की पालना किए जाने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को सुनने के उपरान्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन अवलोकन किया। पत्रावली में उनवानी मुकदमा बिहारी सिंह आदि बनाम हरभजी बगैरा निर्णय दिनांक 27/6/2001 द्वारा प्रति अनुसार बाट-बाटी डिक्री किया गया है। पत्रावली में संलग्न पत्रांक दिनांक 19/01/2004 अनुसार निर्णय/डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बयाना को आदेश जारी होना भी प्रमाणित है। दिनांक 27/6/2001 से बाट बाटी डिक्री पारित निर्मित हुआ है। दाजा निर्णय/डिक्री हुए अब लगभग 20 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं इतने लम्बे समय तक कार्यालय द्वारा	

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:39:44 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय /डिक्री की पालना किए जाने हेतु आवेदन पत्र अथवा इजराय प्रार्थना पत्र क्यों प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बयाना को प्रस्तुत जिन प्रार्थना पत्रों का उल्लेख इस प्रार्थना में अंकित किया है मे कहीं भी तहसीलदार बयाना द्वारा मार्किंग अथवा अपनी टिप्पणी अंकित नही है। सभी प्रार्थना पत्रों में समान आखर व एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर है अर्थात तहसीलदार बयाना को प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो का उल्लेख जो प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित किया है वे प्रार्थना पत्र असल में तहसीलदार बयाना को प्रस्तुत न कर मनगढ़न्त रूप से मात्र झूठा प्रार्थना पत्रावली। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना प्रतीत होता है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि निर्णय /डिक्री की पालना हेतु इजराय अथवा प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने की अधिकतम समय सीमा 12 वर्ष कानून में निर्धारित की है। 12 वर्ष व्यतीत होने पर जारी डिक्री प्रभावहीन है जब अगर यह भी मान लिया जाये कि निर्णय /डिक्री की पालना हेतु कार्यालय द्वारा से निर्णय /डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बयाना को दिनांक 19/01/2004 का आदेश [illegible] की उक्त तिथि से भी आज तक 17 वर्ष व्यतीत हो चुके है अर्थात म्याद [illegible] प्रार्थीगण द्वारा इतने लम्बे समय तक डिक्री पालना बाबत इजराय अथवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करना घोर लापरवाही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र म्याद बाहर पेश करने के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:39:44 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	के कारण नियमानुसार किसी प्रकार निर्माण की पालना किया जाना कानूनन सम्भव नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक मियाद बाहर (1 वर्ष) प्रस्तुत करने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश मेरे हस्ताक्षर दिनांक जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:39:44 IST
Reason: SelfAttested